न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

फर्द अहकाम

बउनवानी रामहरि पुत्र मोतीलाल **बनाम** शंकर लाल पुत्र केसरलाल माली नि.आलनपुर व अन्य
किस्म प्रकरण— निगरानी प्रकरण संख्या 05/2020 (RCMS NO 2020/00010)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	न/सा अहकाम जो हुक्म की तामील मे जारी हुआ
3.2.2020	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट एवं रेस्पो. संख्या 14—15 की ओर से श्री अमित बंसल एडवोकेट ने वकालातनामा पेश किया जो शामिल मिसल किये गये। वकील रेस्पो. संख्या 14 व 15 द्वारा कथन किया कि उनवानी निगरानी प्राधिकृत अधिकारी, नगर परिषद सवाईमाधोपुर के द्वारा प्रकरण सख्या 30/12—13 पारित आदेश कमांक 8531—32 दिनांक 26.2.2013 के विरूद्व प्रस्तुत की गयी है जिसको सुनवायी का क्षेत्राधिकार वर्तमान में माननीय सम्भागीय आयुक्त भरतपुर को है कथन के समर्थन में अधिसूचना क.प.3(50) नविवि/3/2012 दिनांक 20.4.2017 की प्रति प्रस्तुत की गयी है। वकील रेस्पो. की ओर से प्रस्तुत अधिसूचना का अवलोकन किया गया जिसमे स्पष्ट लिखा गया है कि विभागीय अधिसूचना कमांक प.3(50)3/2012/ दिनांक 7.10.2014 को अधिकमित करते हुए उक्त अधिसूचना में संशोधित करते हुए समस्त नगर सुधार न्यासो/प्राधिकरणों एवं स्थानीय निकायों में धारा 90क के अन्तर्गत किसी अधिकारी अथवा प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश से व्यथित व्यक्ति द्वारा उप धारा (9) के अन्तर्गत प्रस्तुत अपील के निस्तारण हेतु जिला कलेक्टर के स्थान पर संबंधित सम्भागीय आयुक्त को अधिकृत किया गया है तथा स्वायत्त शासन विभाग की अधिसूचना कमांक प.8(ग)(8)नियम/ डी.एल.बी./15/5843—6274 दिनांक 10.6.2016 में उक्त प्रकृति के प्रकरण को सुनवायी का क्षेत्राधिकार सम्भागीय आयुक्त महोदय को दिया गया है। वकील अपीलान्ट द्वारा उक्त कथन पर कोई टिप्पणी/आपत्ति नही की गयी है। वकील उभय पक्षों को सुनने एवं प्रस्तुत अधिसूचना का अवलोकन करने के उपरान्त उनवानी अपील को सुनने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नही होने के कारण उक्त अपील को माननीय न्यायालय सम्भागीय आयुक्त, भरतपुर को स्थानान्तरित किया जाना न्यायोचित समझता हूँ। परिणाम स्वरूप प्रार्थी की ओर प्रस्तुत अपील को आगामी सुनवायी हेतु न्यायालय सम्भागीय आयुक्त महोदय भरतपुर को स्थानान्तरित की जाती है। पत्रावली न्यायालय सम्भागीय आयुक्त महोदय भरतपुर के न्यायालय मे आगामी सुनवायी हेतु भिजवाया जाकर इस न्यायालय की दर्ज पंजीका में नम्बर से कम की जावे। वकील उभयपक्षों/पक्षकारान को सूचित किया जाता है कि आगामी सुनवायी हेतु दिनांक 24.3.2020 को न्यायालय सम्भागीय आयुक्त महोदय भरतपुर (केम्प कोर्ट स0मा0) के समक्ष उपस्थित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (डॉ0एस0पी0सिंह) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Satya Pal Singh
Date: 2020.03.04 15:47:40 IST
Reason: SelfAttested